न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—177/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88,53,188 आरटीए

गुरविन्द्र सिह पुत्र हरजीत सिह जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया। वादी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिह पुत्र हरजीत सिह जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
3. रमनदीप कौर जगजीत सिह पत्नी कुलदीप सिह जटसिख सा. मोरजण्ड खारी तह. सादुलशहर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री रामनिवास बेदी वकील वादी
2— श्री अमित बेदी वकील प्रति. संख्या 1
3— श्री कुलदीप सिह संरा — वकील प्रति सं. 3

निर्णय दिनांक :— 8.5.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 5 आई.डी.जी. अंतिम चौसला आधार सम्वत 2072 से 2075 खाता सं. 181/28 में 0.506है. व चक 7 पी.टी.पी. अंतिम चौसला आधार सम्वत 2070 से 2073 खाता सं 159/124 में 1.543है0 नहरी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की स्व. माता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड की प्रगाणित प्रति संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि की वसीयत वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम दिनांक 25.09.2024 को करवा दी थी। वादी की माता का देहान्त दिनांक 07.02.2025 को हो चूका है। वसीयतनामा अनुसार वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 181/28 में 0.506है. व चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 159/124 में 1.543है। नहरी कृषि भूमि का वादी वसीयंती उतराधिकारी है। वाद पत्रं में वर्णित भूमि पर वादी शुरू से यानि अपनी माता के जीवन काल से काबिज होकर अपने 1/2 हिस्सा पर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच अरसा दराज पूर्व यानि माता के जीवन काल में घरा घरू बंटवारा अच्छी मन्दी भूमि को लेकर रास्ता खाला की सुविधा अनुसार हो चूका है। घरू बंटवारा में मुझ वादी के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :— चक 5 आई.डी.जी. के जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता सं. 181/128

प.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
131/126	48	25/0.253,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी * संगरिया जिला हनुमानगढ़ *

चक 7 पी.टी.पी. के जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं. 159/124

प.नं.	मु.न.	किला नं.
131/130	21	18/0.253, 19/0.253, 20/0.253

घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि में वादी ने कड़ी मेहन्त कर व भारी रूपया खर्च कर भूमि में सुधार कर भूमि को सिचाई योग्य बनाया है। घरू बंटवारा के रोज से वादी की 1/2 हिस्सा पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। हिस्सा में आई भूमि पर वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णिता अनुसार मौका पर वादी की फसल काश्त है। वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि वसीयत मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। तथा वादी को आबयाना अदा करने में व बैंक ऋण लेने में अनावश्यक परेशानी हो रही हैं जबकि वादी वसीयतनामा मुताबिक 1/2 हिस्सा का चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 181/28 में 0. 506है. व चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 159/124 में 1.543 है0 नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार कहलाने का व कब्जा काश्त मुताबिक अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवंम दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से नम्र निवेदन किया कि वो वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 181/28 में 0.506 है. व चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 159/124 में 1.543है0 नहरी कृषि भूमि में से वसीयतनामा मुताबिक 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार मानकर खाता अलग करवा राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम व हिस्सा अंकित करवा देवे. तो पहले तो वह आज कल आज कल करता रहा गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया और धमकी दि है कि मैं आपके कब्जे की भूमि में जबरन काश्त करूगा। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 विधि विरूद्ध ढंग से वादी के आधिपत्य व धारण की यानि वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित भूमि पर जबरन बाहुबल के जोर से कब्जा कर लेता है। तो वादी अपने हक हिस्सा की घरू बंटवारा में प्राप्त सुधार की गई भूमि से वचिंत हो जावेगा। तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। जिसकी भरपाई रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। आज प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में बना हुआ है। आज प्रतिवादी जबरन वादी के कब्जा काश्त की भूमि में बाहुबल के जोर से कब्जा कर फसल का नुकसान करता है। तो वांदी अपनी सुधार सुधा कृषि भूमि से व मौका पर पकी फसल से महरूम हो जावेगा। जिस कारण अपुर्णीय व अपरिमय क्षति भी प्रतिवादी की अपेक्षा वादी को होगी। इसलिए वादी आज प्रतिवादी के विरूद्ध शास्वत व्यादेश इस आश्य का प्राप्त करने का अधिकारी एंव दावेदार हैं कि प्रतिवादी सं. 1 वादी के आधिपत्य व धारण की वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि में जबरन कब्जा करने से व अन्य अन्जान व्यक्तियों का कब्जा करवाने से ममनू व बाज रहे। प्रतिवादी सं. 1 को सह

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

काश्तकार होने के कारण व प्रतिवादी सं. 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ प्रत्यक्षतय कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र वादी घोषणात्मक हक, खाता तकसीम व शास्वत व्यादेश का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। व समायत अदालतवाला व अन्दर मियाद मेश है।

अतः वादपत्र वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 181/28 में 0.506है. व चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 159/124 में 1.543 है0 नहरी कृषि भूमि का वसीयतनामा अनुसार वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण इस आश्य का पारित कियां जावे कि प्रतिवादी वाद पत्र कि चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि में जबरन बाहूबल के जोर से कब्जा करने से व वादी से आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि में से मेदाखलत बैजा करने से ममनू व बाज रहे व चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 181/28 में 0.506है. व चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 159/124 में 1.543 है0 हिस्सां से बलजीत कौर का नाम कलमजन कर हिस्सा वसीयतनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम ब.हि.ब. दर्ज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा वादी गुरविन्द्र सिह का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ पत्र पेश किया तथा फार्म नम्बर 3 के साथ निम्नांकित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियॉं प्रस्तुत की गई :–

1. जमाबन्दी सम्वत 2070–73 चक 7 पीटीपी खाता संख्या 159/124 खाता बलजीतकौर वगैरा की प्रमाणित प्रति।
2. जमाबन्दी सम्वत 2072–75 चक 5 आईडीजी खाता संख्या 181/28 खाता बलजीतकौर वगैरा की प्रमाणित प्रति।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र बलजीतकौर
4. फोटो प्रति पंजीकृत वसीयत दिनांक 25.09.2024
5. फोटो पर्ची सतंरोजा गीली सुखी खातेदार संशोधित बाराबन्दी
6. फोटो प्रति सिचाई विभाग पुस्तक संख्या 27 दिनांक 01.04.2025
7. फोटोप्रति रसीद संख्या 05 दिनांक 01.04.2025
8. निगरानी संख्या 999/2025 निर्णय की प्रमाणित प्रति

इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी जिरह नहीं करना चाहते है लिए जिरह प्रतिवादी बन्द की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 5 आईडीजी खाता संख्या 181/28 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव चक 7 पी.टी.पी. खाता संख्या 159/124 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबन्दी में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है तथा वादी/प्रतिवादीगण का आपस में कोई विरोध नहीं है। इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 5 आईडीजी खाता संख्या 181/28 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव चक 7 पी.टी.पी. खाता संख्या 159/124 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में बलजीतकौर पत्नि हरजीत सिह के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 3 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपने हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर रहे है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा भी पेश हो चुके है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है:–

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 5 आईडीजी खाता संख्या 181/28 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव चक 7 पी.टी.पी. खाता संख्या 159/124 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में बलजीतकौर पत्नि हरजीत सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से बलजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 177 / 2025

गुरविन्द्र सिह पुत्र हरजीत सिह जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिह पुत्र हरजीत सिह जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
3. रमनदीप कौर जगजीत सिह पत्नी कुलदीप सिह जटसिख सा. मोरजण्ड खारी तह. सादुलशहर

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अमित बेदी वकील प्रतिवादी संख्या 1 एव श्री कुलदीप सिह संरा वकील प्रतिवादी संख्या 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 5 आईडीजी खाता संख्या 181 / 28 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव चक 7 पी.टी.पी. खाता संख्या 159 / 124 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में बलजीतकौर पत्नि हरजीत सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से बलजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत् ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अंदालत से आज दिनांक 8.5.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया